

सेवामें,

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
उदयपुर

विषय :-संशोधित प्रस्ताव DIVERSION OF 2.4938 HECT. FOREST LAND FOR AUGMENTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND LAKE, FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER TO NEW PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISAMAND LAKE TO UDAIPUR PROPOSAL NO. FP/RJ/WATER/151001/2022 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक:एफ ()/तकनिकी/उ.व.स./2023-24/5042 दिनांक 28.06.2023

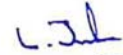
महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि संशोधित प्रस्ताव DIVERSION OF 2.4938 HECT. FOREST LAND FOR AUGMENTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND LAKE, FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER TO NEW PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISAMAND LAKE TO UDAIPUR PROPOSAL NO. FP/RJ/WATER/151001/2022 हेतु पूर्व में जिला कलक्टर उदयपुर के पत्र क्रमांक प.39/1()राज./गै.व.प्र./2023/450-56 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा 2.1137 हैक्ट. गैर वन भूमि आवंटित कर दी गई थी। आपके पत्रांक 5042 दिनांक 28.06.2023 द्वारा शेष (2.4938-2.1137) अर्थात् 0.3801 हैक्ट. गैर वन भूमि उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आपके पत्रांक 5042 दिनांक 28.06.2023 की पालना में शेष (2.4938-2.1137) अर्थात् 0.3801 हैक्ट. गैर वन भूमि जिला कलक्टर उदयपुर के पत्र क्रमांक प.39/1 () राज./गै.व.प्र./2023/1925-28 दिनांक 12.07.2023 द्वारा राजस्व ग्राम मामादेव तहसील कुराबड के आ.नं. 1217 में 0.3801 हैक्टयर भूमि वन विभाग को उपलब्ध करवा दी गई है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय



(ललित जोशी)

सहायक अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
परियोजना उपखण्ड, उदयपुर